फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज॰
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या 91 / 2025

कृष्णा पति शंभूलाल उर्फ किशना
निवासी माण्डना तह0 बेंगू

बनाम

भूमिधारी जी तहसीलदार बेंगू
तह0 बेंगू

उपस्थित ::— अशोक शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

दिनांक 02.02.2026

आदेश प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2026	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट. पर उभय पक्ष कि बहस सूनी गई वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा माण्डना प0ह0 सुवाणिया मे प्रार्थीया संख्या 1 व प्रार्थीया संख्या 2 से 5 के पिता की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पैतृक कृषि आराजीयात खाता संख्या 33 आराजी संख्या 150, 154, 155, 170, 171, 172, 175, 234, 235, 237, 278, 284, 289, 338, 428, 429, 455 कुल किता —17 कुल रकबा 9.5110, एवं खाता संख्या 32 आराजी संख्या 400 रकबा 0.4530 है0 भूमि मे प्रार्थीगण के पति व पिता किशना उर्फ शंभूलाल का स्वर्गवास दिनांक 25.09.2024 हो गया है। प्रार्थीगण के पति व पिता शंभूलाल उर्फ किशना के नाम से मौजा माण्डना की जमांबदी सम्वत 2072 से 75 की खाता संख्या 33, 32 में प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम किशना पिता गंगाराम अंकित है। लेकिन मौजा माण्डना की जमांबदी सम्वत 2072 से 75 की खाता संख्या 174 की आराजी संख्या 513 / 336 मे हम प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम शंभूलाल पिता गंगाराम अंकित है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रेकार्ड की जमांबदी 2072से 75 की खाता संख्या 33 व 32 मे किशना पिता गंगाराम अंकित कर दिया जिससे हम प्रार्थीगण के विरासत का खाता हम प्रार्थीगण के नाम अमल दरामद नही हो सका है। जिससे प्रार्थीगण को राजकीय सेवाओ का लाभ नही मिल पा रहा है। प्रार्थीगण के पति व पिता के नाम से जारी सरकारी विभिन्न दस्तावेजात राशनकार्ड, राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी निंयोग्यता प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, आधारकार्ड, जन आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जोब कार्ड, एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र, मे भी प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम शंभूलाल पिता गंगाराम अंकित है। जिसे जरिये शुद्धीकरण के वास्तविक नाम शंभूलाल पिता गंगाराम किया जाने का आदेश फरमाया जावे । इस पर तहसीलदार बेंगू ने अपनी बहस जवाब प्रा.पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा माण्डना की खाता संख्या 33, किता 17 रकबा 9.511 है0 तथा खाता संख्या 32 रकबा 0.453 है0 भूमि किशना पिता गंगाराम के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण अपने पति व पिता का नाम किशना के बजाय शंभूलाल करवाना चाहते है। मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार शंभूलाल की	

मृत्यु हो चूकि है। प्रार्थीगण शंभूलाल की मृत्यु बाद किशना का नाम शंभूलाल करवाना चाहते है। जमांबदी मे किशना नाबालिग दर्ज है इस प्रकार किशना एवं शंभूलाल दोनो भिन्न भिन्न व्यक्ति है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्याान पूर्वक सुनी गई एवं प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज राशनकार्ड, राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी र्नियोग्यता प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, आधारकार्ड, जन आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जोब कार्ड, एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र, का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया जिसमे प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम शंभूलाल पिता गंगाराम अंकित है। किन्तु पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज से ये कहीं भी सिद्ध नही हो रहा है कि किशना ही शंभूलाल है। एवं खाता संख्या 33 किता 17 रकबा 9.511 है0 भूमि मे किशना पिता गंगाराम नाबालिग अंकित है।

पैरोकार सरकार तहसीलदार बेंगू कि बहस से हम सहमत है। प्रार्थीया का प्रा. पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट. का स्वीकार करने योग्य प्रतित नही होता है ।

अतः प्रार्थीया का प्रा.पत्र अ.धा. 136 लेण्ड.रे.एक्ट. दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नही से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 02.02.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

(अंकित सामरिया)
उपखण्डअधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ़